संस्कृति IAS

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

CSE पाठ्यक्रम के अनुरूप

Powered by

Sanskriti IAS

भारतीय राजव्यवस्था

विषय-सूची

इकाई	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	भारतीय राजव्यवस्था : एक परिचय	3-8
2	संवैधानिक विकास के महत्त्वपूर्ण प्रावधान	9-12
3	संविधान की संरचना	13-18
4	उद्देशिका	19-24
5	संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र	25-28
6	नागरिकता	29-34
7	मूल अधिकार	35-47
8	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व	48-52
9	मूल कर्तव्य	53-55
10	संविधान का संशोधन	56-63
11	संसदीय प्रणाली	64-66
12	संघीय विधायिका	67-112
13	संघ की कार्यपालिका	113-134
14	राज्य सरकार	135-145

संस्कृति IAS

इकाई	अध्याय	पृष्ठ संख्या
15	संघ राज्यक्षेत्र	146-154
16	न्यायपालिका	155-177
17	संघात्मक व्यवस्था	178-180
18	केंद्र-राज्य संबंध	181-195
19	निर्वाचन	196-201
20	आपातकालीन प्रावधान	202-208
21	पंचायती राज, नगरपालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ	209-238
22	संवैधानिक एवं संविधानेत्तर संस्थाएँ	239-270
23	राजभाषा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतीक	271-280
24	विश्व के प्रमुख देशों के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय	281-304

इकाई 1

भारतीय राजव्यवस्था : एक परिचय
(Indian Polity : An Introduction)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारतीय राजव्यवस्था : एक परिचय तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- राज्य
  - राज्य के तत्त्व
- संविधान
  - संविधान की आवश्यकता
  - संविधान का विकास
  - संविधान का महत्त्व
- संविधानवाद
  - संविधानवाद की अवधारणा
  - संविधानवाद के मुख्य तत्त्व
  - संवैधानिक विधि
  - विधियों के प्रकार
  - संविधान और अन्य विधियों में अंतर
- सरकार के अंग
  - विधायिका
  - कार्यपालिका
  - न्यायपालिका
- शासन प्रणालियाँ
  - शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार
- लोकतंत्र
  - लोकतंत्र के प्रकार

राज्य (State)

सामान्यतः 'राज्य' शब्द का प्रयोग किसी देश की क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयों के लिए किया जाता है, किंतु तकनीकी दृष्टि से यह किसी समाज की राजनीतिक संरचना होती है। इसका निर्माण चार तत्त्वों से मिलकर होता है–

राज्य के तत्त्व

भू-भाग (Region)

राज्य का भौतिक आधार एक प्रदेश होता है, अर्थात् एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित करती हो।

जनसंख्या (Population)

राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित उस भू-भाग पर निवास करने वाले लोगों का समूह जो राजनीतिक व्यवस्था से संचालित होता है।

सरकार (Government)

एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह जब कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं एवं व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।

संप्रभुता (Sovereignty)

निश्चित भू-भाग और जनसंख्या पर सत्ता या सरकार के संपूर्ण नियंत्रण के अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती है। "संप्रभुता को राज्य की आत्मा" कहा जाता है।

राज्य के अस्तित्व के लिए उपर्युक्त चारों तत्त्व अनिवार्य हैं, इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती।

नियामक राज्य (Regulatory State)

नियामक राज्य उदारवादी विचारधारा पर आधारित होता है। इसे 'पुलिस स्टेट' भी कहा जाता है। नियामक प्रकृति वाले राज्य का कार्य राजस्व संग्रहण, विधि व्यवस्था की स्थापना, न्याय व्यवस्था तथा वैदेशिक संबंधों तक सीमित होता है।

लोक-कल्याणकारी राज्य (Public Welfare State)

- लोक-कल्याणकारी राज्य के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था– "सबके लिए समान अवसर पैदा करना, अमीर और गरीब के बीच अंतर मिटाना तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोक-कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्त्व है।"
- लोक-कल्याणकारी राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर शीतयुद्ध की समाप्ति तक का समय लोक-कल्याणकारी राज्यों का स्वर्णिम दौर था।

संविधान (Constitution)

- कॉन्स्टीट्यूशन (Constitution) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'कॉन्स्टीट्यूट' (Constitute) से हुई है जिसका अर्थ है शासन करने का सिद्धांत, यानी कि किसी देश का शासन जिन नियमों या सिद्धांतों के अनुसार चलता है।
- सामान्यतः संविधान का अर्थ ऐसे नियमों, विधियों एवं सिद्धांतों से है जिसके अनुसार किसी संगठन को संचालित किया जाता है। संविधान किसी भी संगठन या संस्था के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन किसी देश का संविधान विशेष महत्त्व रखता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 2 संवैधानिक विकास के महत्त्वपूर्ण प्रावधान (Important Provisions of Constitutional Development)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संवैधानिक विकास के महत्त्वपूर्ण प्रावधान तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- संविधान सभा से संबंधित प्रावधान
  - ➤ अल्पकालिक योजना
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
- संविधान सभा की मांग
- संविधान सभा का गठन
- संविधान सभा की कार्यप्रणाली
- उद्देश्य प्रस्ताव
- संविधान सभा के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन
  - ➤ संविधान सभा की समितियाँ
  - ➤ प्रारूप समिति
  - ➤ संविधान सभा के अन्य कार्य
  - ➤ संविधान सभा की आलोचना

संविधान सभा से संबंधित प्रावधान (Provisions Related of the Constituent Assembly)

- एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें 389 सदस्य होंगे। इसमें 296 सदस्य प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे।
- प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्णय उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तथा प्रांत के सदस्यों को मुख्य समुदायों (सामान्य, मुसलमान, सिख) में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया जाएगा।
- संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाए तथा उनके प्रतिनिधियों का चयन वहाँ की रियासत प्रमुखों के द्वारा किया जाएगा।
- सभी प्रांतीय समूह मिलकर तय करेंगे कि संघीय संविधान का स्वरूप कैसा हो तथा उन्हें कौन-से अधिकार मिलने चाहिए?
- भारत यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसे राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना है कि नहीं।
- प्रांतों को तीन समूहों में बाँटा जाए/गया–
  - ➤ वे प्रांत जिनमें हिंदुओं का बहुमत है- बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा।
  - ➤ वे प्रांत जिनमें मुसलमानों का बहुमत है- पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान
  - ➤ पूर्वोत्तर के क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान के लिए दावा किया जाता है- बंगाल और असम

अल्पकालिक योजना (Short Term Plan)

विधान निर्माण के समय शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इस सरकार में 14 सदस्य होंगे, इनमे 6 सदस्य कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख तथा 1 सदस्य पारसी समुदाय से प्रतिनिधि होगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act, 1947)

- 15 अगस्त, 1947 को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा तथा भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना की जाएगी।
- पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाएगा एवं उनके बीच सीमा निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया जाएगा।
- पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का सिलहट, बलूचिस्तान तथा मुस्लिम बहुल रियासतों को शामिल किया जाना था।
- देशी रियासतों पर से ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो गया तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल होने की स्वतंत्रता दे दी गई।
- जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण एवं उनसे की गई संधियाँ व समझौते भी समाप्त हो गए।
- वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा दोनों डोमिनियन के लिए अलग-अलग या एक ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया।
- दोनों डोमिनियन की संविधान सभा अपनी इच्छा के अनुसार संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी।
- दोनों डोमिनियन को यह स्वतंत्रता दी गई कि संविधान बनने तक वे भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसार अपने शासन का संचालन कर सकते हैं एवं इस विधि में सुधार भी कर सकते हैं।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 3 संविधान की संरचना (Structure of the Constitution)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संविधान की संरचना तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
  - लिखित और विशाल संविधान
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण
  - संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव
  - संसदीय व्यवस्था
  - स्वतंत्र न्यायपालिका
  - संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय
  - प्रभुत्वसंपन्न राज्य
  - समाजवादी राज्य
  - लोकतांत्रिक गणराज्य
  - पंथनिरपेक्ष राज्य
  - एकल नागरिकता
  - मौलिक अधिकार
  - राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
  - कल्याणकारी राज्य की स्थापना
  - आपातकालीन प्रावधान
  - त्रि-स्तरीय सरकार
  - सहकारी समितियाँ
- संविधान के स्रोत
- भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक
- भारतीय संविधान की आलोचना
  - भारतीय संविधान उधार का थैला है
  - वकीलों का स्वर्ग
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नकल

भारतीय संविधान की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Constitution)

भारतीय संविधान तत्त्वों और मूल भावना की दृष्टि से अनूठा एवं अनुपम संविधान है। इसमें देश के अतीत के अनुभवों, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों एवं उन सभी महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का समावेश किया गया है जो देश की विविधता एवं अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। संविधान निर्माताओं के द्वारा उस समय विश्व में प्रचलित सभी प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया गया तथा उन संविधानों के महत्त्वपूर्ण तथ्यों को देश की आवश्यकतानुसार संशोधित करके संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान एक अद्वितीय संविधान है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को निम्न में रूप में समझा जा सकता है।

लिखित और विशाल संविधान (Written and Most Comprehensive Constitution)

भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है तथा एक निश्चित तिथि को इसे लागू किया गया है। यह एक विस्तृत संविधान है। इसके मूल स्वरूप में अनुच्छेद 395, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थीं तथा विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा इसके अनुच्छेदों में वृद्धि की गई। इसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के विशाल होने के कुछ मुख्य कारण निम्न हैं–

- भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान को अद्वितीय स्वरूप प्रदान करने के लिए विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तथा उनके महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित किया गया। इस कारण भारतीय संविधान का आकार वृहद् हो गया।
- विश्व के संघीय प्रणाली वाले देशों, जैसे- अमेरिका इत्यादि में दोहरा संविधान अर्थात् केंद्र एवं राज्यों के लिए पृथक्-पृथक् संविधान पाया जाता है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर इकहरा संविधान है एवं इसी संविधान में संघ एवं राज्यों दोनों से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित किए जाने से संविधान का आकार वृहद् हो गया है।
- भारत की विविधतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण कुछ विशेष समस्याएँ उत्पन्न हुई जिनका समाधान संविधान के अंतर्गत किया जाना आवश्यक था। उदाहरणस्वरूप अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधानों को संविधान की पाँचवी अनुसूची एवं छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना।
- भारतीय संविधान में मूल सिद्धांतों के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित उपबंधों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। जैसे- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग इत्यादि।
- संविधान में मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्त्वों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों के युक्ति-युक्त निर्बंधनों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों को भी सम्मिलित किया गया है। इस सभी उपबंधों को संविधान में सम्मिलित करने के कारण संविधान के आकार में वृद्धि हुई।
- संविधान के निर्माण के समय भारत में एकता तथा अखंडता से संबंधित विभिन्न समस्याएँ विद्यमान थीं। इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं के इस संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया।

संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)

संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान का आधारभूत तत्त्व है। संविधान ही संघ एवं राज्यों को प्राप्त शक्तियों का मूल स्रोत है। संघ एवं राज्य दोनों की विधायिका एवं कार्यपालिका संविधान के ही अधीन है। सरकार के तीनों अंगों को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 4

उद्देशिका (Preamble)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'उद्देशिका तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - ➤ संविधान के उद्देशिका की विषय-वस्तु
  - ➤ उद्देशिका के मूल तत्त्व
  - ➤ संविधान के अधिकार का स्रोत
  - ➤ भारत का स्वरूप
    - ■ प्रभुत्व-संपन्न
    - ■ समाजवादी
    - ■ पंथनिरपेक्ष
    - ■ लोकतांत्रिक
    - ■ गणराज्य
- संविधान के उद्देश्य
  - ➤ न्याय
    - ✓ सामाजिक न्याय
    - ✓ आर्थिक न्याय
    - ✓ राजनीतिक न्याय
  - ➤ स्वतंत्रता
  - ➤ समानता
  - ➤ बंधुत्व
  - ➤ व्यक्ति की गरिमा
  - ➤ राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
- उद्देशिका का महत्त्व
- उद्देशिका की सीमाएँ
- संविधान के भाग के रूप में उद्देशिका
- उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं?

पृष्ठभूमि (Background)

उद्देशिका संविधान का आमुख होती है। यह संविधान **से हमारा** प्रारंभिक परिचय करवाती है। उद्देशिका को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा उद्देशिका का प्रारूप तैयार किया गया।

उद्देशिका संविधान का सार है। यह हमें संविधान के मूल स्रोत, भारत की सत्ता के स्वरूप एवं संविधान के उद्देश्यों से अवगत कराती है। 'न्यायमूर्ति सुब्बाराव' के शब्दों में, "उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।" उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था? या वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे? इन सबको जानने का माध्यम उद्देशिका होती है।

संविधान की उद्देशिका की विषय-वस्तु (Content of the Preamble of the Constitution)

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को–

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, **धर्म**
और उपासना की **स्वतंत्रता**,
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा** में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित** करते हैं।

उद्देशिका के मूल तत्त्व (Major Elements of Preamble)

संविधान के अधिकार का स्रोत (Source of Rights of Constitution)

उद्देशिका के अनुसार, संविधान के अधिकार का मूल स्रोत भारत के लोग हैं। भारत के लोग ही सत्ता का प्रमुख आधार हैं। लोगों ने अपनी संप्रभु इच्छा को संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। अर्थात् सरकार को शक्ति भारत के लोगों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत के लोग एक संप्रभु शक्ति के रूप में हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 5	संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र (Union and its Territory)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- संवैधानिक उपबंध
- राज्यों का संघ
- नए राज्यों की स्थापना
- राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति
- देशी रियासतों का एकीकरण
- अन्य यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय
- राज्य पुनर्गठन आयोग
  - ➤ धर आयोग
  - ➤ फज़ल अली आयोग

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)

भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारतीय संघ और इसके राज्यक्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।

राज्यों का संघ (Union of States)

- अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में वर्णित 'भारत' शब्द देश का नाम है, जबकि 'संघ' शब्द से तात्पर्य 'शासन प्रणाली' से है।
- भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को **अपनाया** गया है। डॉ. आंबेडकर के अनुसार, भारत को संघीय राज्य की बजाय राज्यों का संघ बताए जाने के पक्ष में दो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, पहला भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है अर्थात् यहाँ पर अमेरिका के विपरीत स्थिति है। दूसरे तर्क में कहा गया है कि इस संघ को किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण देश एक संघ है जो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार विभिन्न राज्यों में बँटा हुआ है।
- अनुच्छेद 1(2) के अनुसार, राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
- अनुच्छेद 1(3) के अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र का तीन श्रेणियों में विभाजन किया गया है–
- 'भारतीय क्षेत्र' 'भारतीय संघ' से ज़्यादा व्यापक अर्थ अपने-आप में समेटे हुए है। इसके अंतर्गत राज्य, संघ-शासित क्षेत्र एवं ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में अर्जित या शामिल किया जाएगा, सम्मिलित हैं, जबकि भारतीय संघ के अंतर्गत केवल राज्यों को ही शामिल किया जाता है। एक संप्रभु देश होने के कारण भारत, विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। जैसे–संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों को भारत क्षेत्र में शामिल किया जाना। इनमें दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी और सिक्किम शामिल हैं।

नए राज्यों की स्थापना (Establishment of New States)

- अनुच्छेद 2 के अनुसार, संसद ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस मामले में संसद को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, प्रथम शक्ति के अंतर्गत वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, जबकि द्वितीय शक्ति के अंतर्गत संसद नए राज्यों को स्थापित कर सकती है।
- पहले का संबंध ऐसे राज्यों से है जो पहले से अस्तित्व में हैं, वहीं दूसरे का संबंध ऐसे राज्यों से है जो भविष्य में स्थापित या अर्जित किए जा सकते हैं।

राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति (Power of Parliament to Re-organize States)

अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा–

- किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।
- किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।
- किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी।
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

प्रक्रिया (Process)

- अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजते हैं। इस संबंध में राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय प्रस्तुत करनी चाहिए।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 6 — नागरिकता (Citizenship)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'नागरिकता तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर
- संवैधानिक प्रावधान
- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- नागरिकता का अर्जन
  - जन्म द्वारा नागरिकता
  - वंशक्रम द्वारा नागरिकता
  - पंजीकरण द्वारा नागरिकता
  - देशीयकरण द्वारा नागरिकता
  - भू-क्षेत्र सम्मिलित होने पर नागरिकता
- नागरिकता की समाप्ति
  - नागरिकता का परित्याग
  - नागरिकता की बर्खास्तगी
  - नागरिकता से वंचित किया जाना
- विदेशी निवासियों की वैधानिक स्थिति
- विदेशी निवासियों की वैधानिक स्थिति की तुलना
- एकल नागकिरता
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के मुख्य प्रावधान

अवधारणा (Concept)

किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नागरिक और विदेशी। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। वास्तव में नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। इसका प्रयोग विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं–

- नागरिकता से आशय, एक व्यक्ति को प्राप्त किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता से है। राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त व्यक्ति को तीन अधिकार प्राप्त होते हैं– नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार।
- नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को मताधिकार प्रदान कर शासन में सहभागी बनाते हैं। सामाजिक अधिकार व्यक्ति को शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिकों के लिए सम्मान के साथ जीवन यापन करना संभव बनाते हैं।
- नागरिकता को व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है तथा राज्य, व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। सभी व्यक्ति प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान होते हैं।

नोट : भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।

भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर (Difference Between Indian Citizens and Aliens)

भारतीय नागरिक (Indian Citizen)

ये भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, इन्हें सभी नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा इनकी भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है।

विदेशी (Aliens)

ये अन्य देशों के नागरिक होते हैं जिन्हें सभी नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशियों को भी दो वर्गों में रख सकते हैं, जैसे- मित्र देश का नागरिक तथा शत्रु देश का नागरिक।

- **मित्र देश का नागरिक–** ये ऐसे देश के नागरिक होते हैं, जिनसे भारत का मित्रवत् संबंध होता है।
- **शत्रु देश का नागरिक–** ये ऐसे देश के नागरिक होते हैं जो भारत के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं।

नोट– शत्रु देश के नागरिकों को मित्र देश के नागरिकों की अपेक्षा कम संरक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण)।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 7 — मूल अधिकार (Fundamental Rights)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'मूल अधिकार तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- मूल अधिकारों की विशेषताएँ
- राज्य की परिभाषा
- मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
- उच्चतम न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ तथा परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत
  - पृथक्करणीयता का सिद्धांत
  - आच्छादन का सिद्धांत
  - अधित्याग का सिद्धांत
- समानता का अधिकार
  - विधि के समक्ष समता
  - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
  - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
  - अस्पृश्यता का अंत
  - उपाधियों का अंत
- स्वतंत्रता का अधिकार
  - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
  - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
  - शिक्षा का अधिकार
  - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- **धर्म की** स्वतंत्रता का अधिकार
- **संस्कृति** और शिक्षा संबंधी अधिकार
  - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- कुछ अधिनियमों/विनियमों का संरक्षण एवं विधिमान्यकरण
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  - अनुच्छेद 32(2) में उल्लिखित रिट
  - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्तियों में अंतर
- सशस्त्र बल और मूल अधिकार
- मार्शल लॉ और मूल अधिकार
- मूल अधिकारों का महत्त्व

अवधारणा (Concept)

मूल अधिकार, व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह अधिकार व्यक्ति के सर्वोत्तम हित और निजी पहचान विकसित करने में सहायता करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकार व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन-यापन करने तथा व्यक्ति में प्रतिभा और दक्षता विकसित करने में भी सहयोग करता है। मूल अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाता है साथ ही उसकी क्षमता का सही विकास नहीं हो पाता है।

अधिकारों के प्रकार (Types of Fundamental Rights)

- **प्राकृतिक अधिकार–** 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं तथा ये राज्य की उत्पत्ति से पहले से विद्यमान हैं। ये अधिकार हमें जन्म से प्राप्त हैं इसलिए कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता है। विचारकों ने तीन प्राकृतिक अधिकार चिह्नित किए हैं– जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य सभी अधिकार इन्हीं बुनियादी अधिकारों से निकले हैं।
- **मानवाधिकार–** मानवाधिकार के पीछे मूल धारणा यह है कि सभी लोग, मनुष्य होने के कारण कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर व्यक्ति विशिष्ट और समान महत्त्व का है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
- **विधिक अधिकार–** विधिक अधिकारों का जन्म प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। विधिक अधिकारों से आशय ऐसे अधिकारों से हैं जिन्हें राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्रदान की गई हैं। ये दो प्रकार के होते हैं–
  - I. संवैधानिक अधिकार– इसके दो भाग होते हैं– (क) मूल अधिकार, (ख) गैर-मूल अधिकार।
  - II. गैर-संवैधानिक अधिकार।

भारतीय संविधान में मूल अधिकार (Fundamental Rights in the Indian Constitution)

सामान्यतः संविधान में शामिल और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने वाले अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। राज्य मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करते, बल्कि उनका संरक्षण करते हैं।

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संकेत दिए थे कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 8	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

इकाई 8: राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
  - ➤ संवैधानिक उपबंध एवं उद्देश्य
  - ➤ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ
  - ➤ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण
    - ■ समाजवादी तत्त्व
    - ■ उदारवादी तत्त्व
    - ■ गांधीवादी तत्त्व
  - ➤ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में संशोधन
    - ■ 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
    - ■ 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
    - ■ 96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
    - ■ 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
  - ➤ संविधान के भाग-4 से बाहर के नीति निदेशक तत्त्व
  - ➤ मूल अधिकार और निदेशक तत्त्वों के मध्य संबंध
  - ➤ नीति निदेशक तत्त्वों की आलोचना
  - ➤ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का महत्त्व
  - ➤ प्रमुख विचारकों का नीति निदेशकों के संबंध में विचार
  - ➤ निदेशक तत्त्वों का महत्त्व

अवधारणा (Concept)

सामान्य अर्थों में राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, कुछ कल्याणकारी आदर्शों का एक समुच्चय होता है जिन्हें प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और विधि निर्माण के समय सदैव ध्यान में रखती है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती है, अत: उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए संविधान में राज्य के लिए नीतिगत निर्देशों को शामिल किया ताकि प्रस्तावना में परिकल्पित लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके।

संवैधानिक उपबंध एवं उद्देश्य (Constitutional Provisions and Objectives)

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।

उद्देश्य (Objectives)

- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व का मुख्य उद्देश्य भारत को लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
- राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनी नीतियों और विधियों के द्वारा निदेशक तत्त्वों का कार्यान्वियन करें।
- नीति निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य यह भी है कि सरकारों के समक्ष उपलब्धि का ऐसा मानदंड रखे जिससे वो अपनी सफलता और असफलता की जाँच कर सकें।

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ (Characteristics of Directive Principles of State Policy)

- नीति निदेशक तत्त्व संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना से प्रेरित है।
- नीति निदेशक तत्त्व देश के शासन में मूलभूत है अत: राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि के द्वारा इन तत्त्वों को प्रभावी बनाए।
- नीति निदेशक तत्त्व वाद योग्य नहीं है अर्थात इन्हें न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है साथ ही साथ सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
- नीति निदेशक तत्त्व न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं।

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण (Classification of DPSP)

संविधान में नीति निदेशक तत्त्वों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है लेकिन लक्ष्य एवं आदर्श के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों यथा– समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी में वर्गीकृत किया जाता है।

समाजवादी तत्त्व (Socialistic Principles)

- **अनुच्छेद 38: राज्य लोक-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा– अनुच्छेद 38(1)** राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 9	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'मूल कर्तव्य तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- संवैधानिक उपबंध
- मूल कर्तव्यों के स्रोत
- स्वर्ण सिंह समिति
- भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य
- मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ
- मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन
- मूल कर्तव्यों से अपेक्षाएँ
- मूल कर्तव्यों का महत्त्व
- मूल कर्तव्यों की आलोचना

अवधारणा (Concepts)

सामान्यत: मौलिक कर्तव्य नागरिकों के वे नैतिक दायित्व होते हैं जो देशभक्ति तथा देश की एकता एवं अखंडता के संवर्द्धन में सहयोग करते हैं। आधुनिक समय में कर्तव्यों की जगह अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। हालाँकि, ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य और दायित्व भी समाहित होता है। अधिकारों और कर्तव्यों में न केवल तारतम्यता संभव है, बल्कि ये दोनों अविभाज्य हैं। कर्तव्य अधिकार का एक अभिन्न अंग होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, वहीं दूसरे के लिए अधिकार है, जैसे– यदि सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार प्राप्त है तो सभी व्यक्तियों के लिए यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मानव जीवन का आदर करें और किसी व्यक्ति को आहत न करें। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो अधिकार स्वत: सुरक्षित रहेंगे या दूसरे शब्दों में कहें, तो कर्तव्यों के पालन से ही अधिकारों को बल मिलता है।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)

- मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग-4 के पश्चात् एक नया भाग-4क शामिल किया गया। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नया शीर्षक मौलिक कर्तव्य रखा गया जिसमें नए अनुच्छेद 51क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।
- 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्य शामिल किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है।

मूल कर्तव्यों के स्रोत (Source of Fundamental Duties)

भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हालाँकि, भारतीय परंपरा और चिंतन धारा में कर्तव्यों की प्राथमिकता प्राचीन काल से रही है। आधुनिक विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में जापान को छोड़कर अन्य किसी भी देश के संविधान में मूल कर्तव्यों का आलेख नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में नागरिकों के कर्तव्य सामान्य नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। साम्यवादी देशों में अधिकारों की जगह कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए गठित वर्मा समिति (वर्ष 1999) ने मूल कर्तव्यों के बारे में कहा है कि 'अनुच्छेद 51क यह प्रदर्शित करता है कि ये धाराएँ ऐसे मूल्यों की अभिव्यक्ति हैं जो भारतीय परंपरा, मिथकों, धर्मों तथा व्यवहारों में विद्यमान रही हैं'।

स्वर्ण सिंह समिति (Swarn Singh Committee)

राष्ट्रीय आपातकाल (वर्ष 1975-77) के दौरान तत्कालीन भारत सरकार ने मूल कर्तव्य एवं उसकी आवश्यकता के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति (वर्ष 1976) का गठन किया।

स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए तथा इसके लिए संविधान में एक शीर्षक के रूप में मूल कर्तव्य का अलग से खंड होना चाहिए।

भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत संविधान में एक नया भाग-4क तथा नया अनुच्छेद 51क शामिल किया।

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य (Fundamental Duties in Indian Constitution)

अनुच्छेद 51क– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 10 संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संविधान का संशोधन तथा इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- संविधान संशोधनों के प्रकार
  - संसद के साधारण बहुमत द्वारा
  - संसद के विशेष बहुमत द्वारा
  - संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा
- संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना
- संविधान संशोधन का महत्त्व
- महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

अवधारणा (Concept)

- परिस्थितिजन्य बदलावों, सामाजिक परिवर्तनों और राजनीतिक उठापटक के कारण कई देशों ने अपने संविधान की पुनर्रचना की है, जैसे– रूसी गणराज्य, नेपाल एवं श्रीलंका। इसके विपरीत, कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बेहतर समझ-बूझ के साथ अपना संविधान निर्मित किया और समय के साथ-साथ उसमें आवश्यक संशोधन किए, भारत एवं अमेरिका ऐसे ही देश हैं।
- भारत ने अपना संविधान 26 नवंबर, 1949 को **अंगीकृत** तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू किया। 70 साल बीत **जाने के** बाद भी संविधान अनवरत कार्य कर रहा है। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत के समकालीन नव-स्वतंत्र राष्ट्रों में से अधिकांश का संविधान वह स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सका, जो भारतीय संविधान ने प्राप्त किया।
- भारतीय संविधान की विशेषताओं में कहा जाता है कि यह एक मज़बूत संविधान है एवं इसकी बनावट देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। भारतीय संविधान-निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे, उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। वे जानते थे कि कोई भी ऐसा वैधानिक दस्तावेज़ बनाना संभव नहीं होता, जो सर्वकालिक रूप से उपयुक्त हो। वस्तुतः प्रत्येक वैधानिक दस्तावेज़ में समय व परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता होती है और भारतीय संविधान भी इस सीमा से परे नहीं है।
- भारतीय संविधान लंबे समय से सफलतापूर्वक कार्यरत है क्योंकि इस संविधान में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, जिनके चलते इसमें समयानुकूल संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अलावा, हमारे संविधान ने विभिन्न न्यायिक फैसलों व राजनीतिक व्यवहारों के माध्यम से अपनी परिपक्वता व लचीलेपन का परिचय भी दिया है।
- संविधान के समक्ष एक चुनौती यह भी रहती है कि वह समय के हिसाब से प्रासंगिक बना रहे। अर्थात् संविधान सामाजिक परिवर्तन के प्रत्येक पड़ाव पर इस चुनौती से भी दो-चार होता है कि वह समकालीन सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ भावी समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करने में सफल हो पाएगा अथवा नहीं? दूसरे शब्दों में, संविधान भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान पेश करने में सक्षम होना चाहिए। अतः संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और सवालों से जुड़ा होता है बल्कि इसमें कई सारे स्थायी महत्त्व के तत्त्व भी शामिल होते हैं।
- उक्त चर्चा का सार यही है कि संविधान जड़ एवं अपरिवर्तनीय नहीं होना चाहिए। उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की संभावना बनी रहनी चाहिए। वस्तुतः संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है और यह समाज को लोकतांत्रिक रूप से प्रशासित करने का एक वैधानिक दस्तावेज़ भी होता है।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संविधान एक ऐसा उपकरण होता है, जिसे समाज अपने लिए खुद गढ़ता है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Amendment of the Constitution)

- भारतीय संविधान-निर्माता विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की जटिलताओं से परिचित थे। अब चूँकि भारत ने शासन के संघात्मक स्वरूप को अपनाया, इसलिए भारतीय संविधान-निर्माता भारत के संविधान को ऐसा स्वरूप देना चाहते थे ताकि वह विश्व के अन्य देशों में उपजी जटिलताओं से मुक्त रह सके। असल में, वे भारतीय संविधान को अत्यधिक कठोरता या अनम्यता से बचाना चाहते थे। संविधान-निर्माताओं का विचार था कि संविधान नागरिकों के लिए बनाया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी आवश्यक होता है।
- भारतीय संविधान लिखित संविधान होने के बावजूद भी पर्याप्त परिवर्तनशील संविधान है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को साधारण प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, किंतु संविधान में

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 11 संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संसदीय प्रणाली एवं उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ
- संसदीय प्रणाली के सकारात्मक पक्ष
- संसदीय प्रणाली के नकारात्मक पक्ष
- संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण
- भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर

अवधारणा (Concept)

- कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में वर्गीकृत होती हैं।
- अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह व्यवस्था 'राष्ट्रपति शासन प्रणाली' (Presidential rule of system) भी कहलाती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस आदि देशों में प्रचलित है।
- संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की ऐसी **व्यवस्था** होती है, जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों या वैधता के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका का अंग होती है।
- संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। इस शासन व्यवस्था को लोकप्रिय तौर पर 'कैबिनेट व्यवस्था' या 'सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप' भी कहा जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि देशों में प्रचलित है।
- संसदीय सरकार को 'उत्तरदायी सरकार' इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंत्रिपरिषद् (कार्यपालिका) विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसका कार्यकाल तब तक चलता है, जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है।
- संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में केंद्रित होती हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों से बड़ा या छोटा न होकर अपने समकक्षों में प्रथम होता है।
- भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के लिए सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है।

संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of the Parliamentary System)

भारत में संसदीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका (Nominal and Real Executive)

राष्ट्रपति, कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार– राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी तथा राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करने के लिए बाध्य होगा।

सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

अनुच्छेद 75 के अनुसार– मंत्रिपरिषद्, लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 'सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत' (Principle of Collective Responsibility) के अंतर्गत यदि लोक सभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का एक आयाम यह भी होता है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडलीय निर्णय पर असहमति व्यक्त करता है, तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। साथ ही, विधायिका में किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान के संबंध में माना जाता है कि यह मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय है।

बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी का शासन (Rule of Majority-attained Political Party)

लोक सभा की कुल सीटों में से आधे से अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार का गठन करती है। लोक सभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के लोकप्रिय नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।

दोहरी सदस्यता (Dual Membership)

मंत्रिपरिषद् के सदस्य विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए विधायिका के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 12

संघीय विधायिका
(The Union Legislative)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संघीय विधायिका तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- संसद
- राज्य सभा
- लोक सभा
- संसद के सदस्यों की अर्हताएँ
- संसद के सदस्यों की निरर्हताएँ
- स्थानों का रिक्त होना
- संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य अधिकार
- संसद सदस्यों की भूमिका
- राज्य सभा और लोक सभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन
- संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ
- संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष
- संसद के सत्र
- राष्ट्रपति का अभिभाषण
- गणपूर्ति
- सदन में मतदान
- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
- संसद में विधायी प्रक्रिया
- संयुक्त बैठक का प्रावधान
- संसदीय कार्यवाही
- विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव
- संकल्प
- वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट
- संसदीय समितियाँ

संसद (Parliament)

- भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इस संसदीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अपनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर विधान निर्मात्री संस्था का नाम 'संसद' है, वहीं राज्यों की विधायिकाओं को 'विधानमंडल' कहते हैं।
- भारतीय संविधान के पाँचवें भाग में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल, सदस्य, विशेषाधिकार, प्रक्रिया और शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संसद में दो सदन हैं– राज्य सभा और लोक सभा। इसके उच्च सदन को 'राज्य सभा' तथा निम्न सदन को 'लोक सभा' कहते हैं।
- संविधान ने राज्यों को एक-सदनात्मक या द्वि-सदनात्मक व्यवस्था स्थापित करने का विकल्प दिया है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्वि-सदनात्मक विधायिका हैं, ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- संसद में दो सदन होने के पीछे तर्क यह है कि इससे देश और समाज के सभी क्षेत्रों व भागों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके तथा एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विधेयक या नीति पर दो बार विचार होता है।
- यद्यपि, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है किंतु भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद के समान शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के बारे में एक कहावत प्रचलित है- "वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।"
- जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे 'द्वि-सदनात्मक विधायिका' कहते हैं।

संसद का गठन (Constitution of Parliament)

- अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।
- जहाँ राज्य सभा में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, वही लोक सभा में संपूर्ण भारत से प्रतिनिधि चुन कर आते हैं।
- राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग होता है, हालाँकि, वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ प्रमुख कार्य भी करता है, जैसे– दोनों सदनों को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोक सभा को विघटित करना और यदि सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करना आदि।
- ब्रिटिश विधायिका भी क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड (उच्च सदन) एवं हाउस ऑफ कॉमन्स (निम्न सदन) से मिलकर बनी है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका (कांग्रेस) सीनेट (उच्च सदन) और हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स (निम्न सदन) से मिलकर बनी है। हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का अंग नहीं होता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 13	संघ की कार्यपालिका (The Union Executive)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संघ की कार्यपालिका तथाउससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- भारत का राष्ट्रपति
  - राष्ट्रपति का निर्वाचन
  - राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
  - राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन
  - निर्वाचन की प्रक्रिया
  - राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद
  - राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रावधानों के विनियमन की संसद की शक्ति
  - राष्ट्रपति की शक्तियाँ
  - राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति
  - अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति पर सीमाएँ
  - राष्ट्रपति की पदावधि
  - राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति
  - राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान
- भारत का उपराष्ट्रपति
  - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
  - उपराष्ट्रपति के कार्य
  - उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया
  - राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों का एक-साथ रिक्त होना
  - भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना
  - उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ
- भारत का प्रधानमंत्री
- उपप्रधानमंत्री का पद
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद्
  - मंत्रिपरिषद् की संरचना
  - किचन कैबिनेट
  - मंत्रिमंडलीय समितियाँ
- भारत का महान्यायवादी
  - भारत का सॉलिसिटर जनरल
  - भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

परिचय (Introduction)

सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका।

1. **व्यवस्थापिका (Legislature):** सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, व्यवस्थापिका/विधायिका कहलाता है।
2. **कार्यपालिका (Executive):** सरकार का वह अंग जो कानून लागू करने का कार्य करता है, कार्यपालिका कहलाता है।
3. **न्यायपालिका (Judiciary):** सरकार का वह अंग जो कानून की व्याख्या करता है तथा कानून भंग करने वाले को दंडित करता है, न्यायपालिका कहलाता है।

भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा महान्यायवादी को सम्मिलित किया जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 73 में किया गया है।

इसके अनुसार, संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद विधि बना सकती है और उन सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर सरकार को प्राप्त होंगे।

भारत का राष्ट्रपति (President of India)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह देश का संवैधानिक प्रमुख एवं प्रथम नागरिक होता है तथा वह देश की एकता, गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक है।
- संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President)

संविधान में भारत के गणतंत्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है, अतः यहाँ पर राज्याध्यक्ष/राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 54 (राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल) एवं अनुच्छेद 55 (राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति) में किया गया है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 14 — राज्य सरकार (State Government)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'राज्य सरकार तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- राज्यपाल
  - राज्यपाल की नियुक्ति
  - राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
  - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  - राज्यपाल की शक्तियाँ
- मुख्यमंत्री
  - नियुक्ति, शपथ एवं कार्यकाल
  - मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ
- राज्य मंत्रिपरिषद्
  - संवैधानिक प्रावधान
  - मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रिपरिषद् का गठन
  - मंत्रियों का कार्यकाल एवं शपथ
  - मंत्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व
- राज्य का महाधिवक्ता

राज्य विधानमंडल

- विधान सभा
  - संरचना
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटों में आरक्षण
  - विधान सभा का कार्यकाल
  - विधान सभा सदस्य के लिए अर्हताएँ
  - निरर्हताएँ
  - दल-बदल के आधार पर निरर्हता
  - विधान सभा की शक्तियाँ एवं कार्य
  - धन विधेयक
  - विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की स्वीकृति
- राज्य विधानमंडल का सत्र
- विधान परिषद्
- राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार

राज्य की कार्यपालिका (State Executive)

राज्यपाल (Governor)

भारतीय संविधान में राज्यों के प्रशासन के लिए केंद्र की तरह ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यों में भी केंद्र की तरह राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है।

- भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है।
- राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ पदाधिकारियों में मंत्रिपरिषद् भी शामिल है।

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor)

- अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। साधारण शब्दों में राज्यपाल, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
- हरगोविंद बनाम रघुकुल मामले, 1979 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नियुक्त पद न होकर एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।

राज्यपाल के पद के लिए शर्तें (Conditions of Governor's Office)

अनुच्छेद 157 के अनुसार,

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

अनुच्छेद 158 के अनुसार,

- राज्यपाल संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वह इन दोनों में से किसी का भी सदस्य है, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के बाद, वह संसद या विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं रहेगा।
- राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- राज्यपाल संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा।
- यदि वही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियाँ और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे।
- राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 15

संघ-राज्यक्षेत्र
(Union Territories)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संघ-राज्यक्षेत्र तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
  - संघ-राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद
  - संघ-राज्यक्षेत्रों का गठन
  - संघ-राज्यक्षेत्रों का विकास
  - संघ-राज्यक्षेत्रों के निर्माण के कारण
  - संघ-राज्यक्षेत्रों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों में अंतर
- संघ-राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
- संघ-राज्यक्षेत्रों में विधानमंडल
- संघ-राज्यक्षेत्रों में अध्यादेश
- राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति
- संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
- दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान
  - ऐतिहासिक विकास
  - दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढाँचा
  - पूर्ण राज्य के दर्जे से संबंधित विवाद
  - मुख्यमंत्री बनाम प्रशासक की सर्वोच्चता का विवाद
- संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियाँ

परिचय (Introduction)

संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को तीन वर्गों में बाँटा गया है–

(क) राज्यक्षेत्र (States)

(ख) संघ-राज्यक्षेत्र (Union Territories)

(ग) अर्जित राज्यक्षेत्र (Aquired Territories)

वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 8 संघ-राज्यक्षेत्र हैं, जबकि कोई अर्जित राज्यक्षेत्र नहीं है।

सभी राज्यक्षेत्र भारत की संघीय व्यवस्था (Federal System) के सदस्य हैं और वे केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन (Separation of Power) में हिस्सेदार होते हैं। जबकि, संघ-राज्यक्षेत्रों एवं केंद्र के मध्य संबंधों के मामले में भारतीय संविधान का स्वरूप पूर्णत: एकात्मक (Plainly Unitary) है। संघ-राज्यक्षेत्र वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासन एवं नियंत्रण में होता है अर्थात् वह केंद्र के साथ शक्ति विभाजन में हिस्सेदार नहीं होता है। अत: ऐसे प्रदेशों को केंद्र-शासित प्रदेश (Centrally Administered Territories) भी कहते हैं। इस प्रकार, ये प्रदेश संघीय प्रणाली से भिन्न हैं और इन क्षेत्रों का अस्तित्व भारत के संघवाद से विचलन का उदाहरण है।

संघ-राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद (Articles Related to Union Territories)

संविधान के भाग-VIII में अनुच्छेद 239 से 241 तक संघ-राज्यक्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को '7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956' के द्वारा नए सिरे से लिखा गया था। इनमें समय-समय पर और भी संशोधन किए गए, जैसे–

- 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के द्वारा इसमें अनुच्छेद 239क को;
- 27वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा अनुच्छेद 239ख को; तथा
- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा इसमें अनुच्छेद 239कक एवं 239कख को शामिल किया गया।

संघ-राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
239	संघ-राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
239क	कुछ संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन
239कक	दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान
239कख	संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में प्रावधान
239ख	विधानमंडल के विश्रांतकाल (Recess) में अध्यादेश प्रख्यापित (Promulgate) करने की प्रशासक की शक्ति
240	कुछ संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम (Regulations) बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
241	संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
242	कुर्ग (Coorg) (निरस्त)

संघ-राज्यक्षेत्रों का गठन (Formation of Union Territories)

वर्तमान में 8 संघ-राज्यक्षेत्र हैं जिनकी सूची उनके गठन के वर्ष के साथ इस प्रकार है–

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह–1956
2. दिल्ली– 1956

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 16	न्यायपालिका (Judiciary)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'न्यायपालिका तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
  - भारत में न्यायपालिका की संरचना
- उच्चतम न्यायालय
  - उच्चतम न्यायालय का गठन
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया
  - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
  - न्यायाधीशों की अर्हताएँ
  - न्यायाधीशों की शपथ
  - न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
  - उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता
- न्यायिक सक्रियतावाद
- न्यायिक पुनर्विलोकन
- जनहित याचिका
- उच्च न्यायालय
  - उच्च न्यायालयों का गठन
  - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अर्हताएँ
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
  - उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
- अधीनस्थ न्यायालय
- लोक अदालत
- परिवार न्यायालय
- ग्राम न्यायालय
- अधिकरण

अवधारणा (Concept)

समाज में व्यक्तियों, समूहों तथा सरकार के बीच विवाद होना सामान्य बात है तथा यह भी सर्वमान्य है कि इन विवादों का समाधान एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाना चाहिए। आधुनिक **लोकतांत्रिक** देशों में न्यायपालिका की यही भूमिका होती है कि वह **विधि के शासन** और विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे।

संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान का मूल तत्त्व है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। हालाँकि, इन शक्तियों या उपबंधों की व्याख्या सरकारें अपने हित या पक्ष में कर सकती हैं और सरकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय नामक संस्था का उल्लेख है, जिसका मूलभूत कार्य केंद्र-राज्य विवादों को निष्पक्षता से सुलझाना है। इसके अतिरिक्त संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, अत: उच्चतम न्यायालय को 'संविधान का संरक्षक' भी कहा जाता है।

ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में- उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुत: 'सामाजिक क्रांति के संरक्षक' का भार सौंपा गया है। यह सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है।

भारत में न्यायपालिका की संरचना (Judicial Structure in India)

भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है, अर्थात् एक ही न्यायतंत्र केंद्र और राज्य दोनों की विधियों को लागू करता है। अत: केंद्र और राज्यों की भिन्न-भिन्न न्यायपालिकाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, अमेरिकी संविधान में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है। वहाँ संघ की विधियों को लागू करने के लिए संघीय न्यायालय है, जबकि राज्य की विधियों को लागू करने के लिए राज्य के न्यायालय हैं।

न्यायिक संरचना

उच्चतम न्यायालय (शीर्षतम)
- इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण में इनकी प्रमुख भूमिका।
- किसी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगा सकता है।
- मुकदमों का स्थानांतरण कर सकता है।

उच्च न्यायालय (मध्यवर्ती)
- अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों पर सुनवाई।
- अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
- राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई।

ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय
- ज़िले में दायर मुकदमों की सुनवाई।
- अधीनस्थ न्यायालयों, जैसे- सिविल और आपराधिक न्यायालयों के निर्णयों पर सुनवाई।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 17	संघात्मक व्यवस्था (Federal System)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संघात्मक व्यवस्था तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- संघात्मक लोकतंत्र
- संघवाद की मौलिक अवधारणा
- भारतीय संविधान में संघवाद
- भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ

अवधारणा (Concept)

राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारें, संघात्मक शासन-व्यवस्था का प्रमुख अंग होती हैं। संघात्मक शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियाँ विभाजित होती हैं और दोनों सरकारें स्वतंत्रतापूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों ने संघीय शासन-व्यवस्था को अपनाया है। संघ (Federation) शब्द एक लैटिन शब्द 'फोएडस' से लिया गया है जिसका अर्थ होता है– 'संधि या समझौता'।

संघात्मक लोकतंत्र (Federal Democracy)

जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक नए **राज्य का** निर्माण करते हैं तो नवनिर्मित संस्था 'संघ' (Federation) **कहलाती है**, जैसे– संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। 'संयुक्त राज्य अमेरिका' संघीय शासन-व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है। वर्ष 1787 में, जब अमेरिकी संविधान सभा का गठन हुआ, तब वहाँ राज्यों की संख्या 13 थी जो वर्तमान में बढ़कर 50 हो गई है। संघीय शासन-व्यवस्था में एक अन्य उदाहरण कनाडा का है। कनाडा 10 राज्यों (मूलत: 4 राज्य) से निर्मित संघीय शासन-व्यवस्था का उदाहरण है।

संघवाद की मौलिक अवधारणा (Basic Concept of Federalism)

- संघवाद एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएँ समाहित होती हैं। इनमें एक प्रांतीय स्तर पर होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। प्रत्येक प्रांतीय सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का प्रचलन होता है। इनमें एक प्रांतीय नागरिकता होती है तथा दूसरी राष्ट्रीय नागरिकता। किंतु, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएँ होती हैं। इनमें एक क्षेत्रीय होती है तथा दूसरी राष्ट्रीय।
- संघीय शासन-व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत लिखित संविधान द्वारा निर्धारित होता है। इस व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है तथा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों, जैसे– रक्षा, वैदेशिक क्षेत्र और मुद्रा का दायित्व केंद्र के पास होता है, जबकि स्थानीय महत्त्व के विषय, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य आदि राज्यों के पास होते हैं।
- केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने तथा उनके निराकरण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है।

भारतीय संविधान में संघवाद (Federalism in Indian Constitution)

भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि आधारों पर एक विविधतापूर्ण देश है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही प्रमुख नेताओं के मध्य इस बात पर सहमति थी कि भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों का, केंद्र व राज्यों के मध्य बँटवारा आवश्यक होगा। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था से विभिन्न क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के लोगों को शासन में सहभागिता तथा स्वशासन का अवसर मिलेगा। देश में इनकी विविधता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध सहयोगपूर्ण होंगे, इससे विविधता को मान्यता देने के साथ-साथ एकता को भी बल मिलेगा।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत 'राज्यों का संघ' (Union of the States) है। भारत के संविधान में 'फेडरेशन' (Federation) शब्द की जगह 'यूनियन' (Union) शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी में दोनों शब्दों का अर्थ 'संघ' ही होता है, लेकिन बुनियादी अंतर केंद्र और राज्यों को आवंटित की गई शक्तियों में होता है।
- इन संविधान निर्माताओं ने व्यावहारिक तौर पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, किंतु भारतीय संघवाद का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। वस्तुत: कनाडा का मॉडल एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल से अलग है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 18

केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relation)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'केंद्र-राज्य संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध
- सूचियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत
- राज्य सूची पर संसदीय विधान
- राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण
- केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध
- केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध
- भारतीय संघीय व्यवस्था में टकराव के कारण
- प्रशासनिक सुधार आयोग
- सरकारिया आयोग
- पुंछी आयोग
- अंतर्राज्यीय विवाद
- अंतर्राज्यीय परिषद्
- क्षेत्रीय परिषदें
- पूर्वोत्तर परिषद्
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956

अवधारणा (Concept)

- भारत के संविधान द्वारा देश में संघीय शासन-व्यवस्था स्थापित की गई है। अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत अर्थात् इंडिया 'राज्यों का संघ' (यूनियन) होगा।
- संघात्मक शासन-व्यवस्था के अंतर्गत दो-स्तरीय सरकारों की स्थापना की गई है- एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय या केंद्रीय सरकार कहते हैं तथा दूसरे, प्रत्येक प्रां**तीय इकाई** या राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं।
- संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत संघीय सरकार के लिए संघ सूची, राज्य सरकारों के लिए राज्य सूची तथा दोनों सरकारों के लिए समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है।
- सामान्यत: केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी, कार्यकारी तथा वित्तीय आधार पर शक्तियों के विभाजन को ही 'केंद्र-राज्य संबंधों की संज्ञा' दी जाती है। अमूमन संघीय ढाँचे वाले देशों में इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक शक्तियों को भी शामिल किया जाता है, किंतु भारत में न्यायिक शक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भारत में न्यायिक क्षेत्र में एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है।
- केंद्र एवं राज्यों के बीच सामान्यत: तीन प्रकार के संबंध होते हैं-
  1. विधायी संबंध
  2. प्रशासनिक संबंध
  3. वित्तीय संबंध

केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध (Legislative Relations between Centre and States)

- केंद्र और राज्य द्वारा किसी विषय पर विधि-निर्माण की शक्ति को 'विधायी शक्ति' कहते हैं।
- संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255, तक केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को चार श्रेणियों में विभाजित करता है-
  (i) केंद्र और राज्य की विधियों का क्षेत्रीय विस्तार
  (ii) केंद्र और राज्य के मध्य विधायी विषयों का विभाजन
  (iii) राज्य सूची पर संसदीय विधान
  (iv) राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण

केंद्र और राज्य की विधियों का क्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent of Central and State Legislation)

क्षेत्रीय विस्तार का सामान्य अर्थ होता है कि केंद्र तथा राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। दूसरे शब्दों में, वह क्षेत्र जहाँ तक केंद्र और राज्य के कानून प्रभावी होते हैं।

अनुच्छेद 245(1) के अनुसार, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।

अनुच्छेद 245(2) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि वह भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर भी लागू होती है, अर्थात् संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ भारतीय राज्यक्षेत्र के साथ-साथ विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी वहाँ स्थित संपत्ति पर भी लागू होंगी।

क्षेत्रीय विस्तार के अपवाद: संविधान ने संसद के क्षेत्रीय विस्तार पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं, अर्थात् संसद की विधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होंगी-

- अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को चार केंद्र-शासित क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लद्दाख) के लिए विनियम बनाने की शक्ति है। ये विनियम संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रभावी होंगे।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 19 निर्वाचन (Election)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'निर्वाचन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- लोकतंत्र और निर्वाचन
- संवैधानिक प्रावधान
  - भारत में निर्वाचन की व्यवस्था
  - निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण
- निर्वाचन आयोग
  - निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी
  - निर्वाचन प्रक्रिया
  - निर्वाचन विधियाँ

लोकतंत्र और निर्वाचन (Democracy and Election)

- लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है– "लोगों के द्वारा, लोगों के लिए एवं लोगों का शासन"। लोकतंत्र की बुनियादी मज़बूती 'स्वतंत्र', 'निष्पक्ष' और समयोचित निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित होती है।
- निर्वाचन का अर्थ, ऐसी व्यवस्था से है जिसमें नागरिक अपने ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो देश का शासन-प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरे शब्दों में, शासन-व्यवस्था को चलाने वाले प्रतिनिधियों को चुनने की विधि निर्वाचन कहलाती है। लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की तरफ से नीतियाँ बनाते हैं एवं निर्णय लेते हैं।
- भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचन कराने में संविधान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। संविधान में निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जबकि कुछ अन्य प्रावधान बनाने का कार्य संसद को सौंपा गया है।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision)

भारतीय संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

- अनुच्छेद 324 के अनुसार– संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार करने और इन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति, निर्वाचन आयोग में निहित होगी। निर्वाचन आयोग, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली (Electoral Roll) होगी तथा किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नामावली में शामिल किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही, इन आधारों पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावली में शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अर्थात् प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो विधि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। संविधान या किसी विधि के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल अनिवास, चित्तविकृति (Unsoundness), अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण (Corrupt or Illegal Practice) के आधार पर ही मत देने से वंचित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 327 के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद समय-समय पर विधि द्वारा, संसद तथा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों, जैसे– निर्वाचक-नामावली तैयार करना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन या सदनों के सम्यक् गठन कर अन्य सभी आवश्यक विषयों के लिए प्रावधान कर सकती है।
- अनुच्छेद 328 के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद के कार्यक्षेत्र में न आने वाले विषयों पर, राज्य विधानमंडल समय-समय पर विधि द्वारा, उस राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित विषयों के बारे में, जिसके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने वाले अन्य सभी आवश्यक विषयों के लिए प्रावधान कर सकती है।
- अनुच्छेद 329(क) के अनुसार, निर्वाचन संबंधी मामले, जैसे– निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन-क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित विधियों को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 329(ख) के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन याचिका तभी दायर की जा सकती है, जब उससे संबंधित प्रावधान विधायिका ने किया हो।

नोट: निर्वाचन याचिका पर सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में हो सकती है किंतु अपील का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 20 — आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provision)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'आपातकालीन प्रावधान तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- संवैधानिक प्रावधान
  - ➤ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  - ➤ अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर
  - ➤ राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356)
  - ➤ वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
- आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना

अवधारणा (Concept)

देश में उत्पन्न किसी असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और राज्यों की समस्त शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र के पास हो जाता है।

आपातकाल के दौरान शासन-व्यवस्था के स्वरूप का संघात्मक से एकात्मक रूप में परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि "अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएँ, संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। दूसरी तरफ, भारत का संविधान, समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। भारतीय संविधान को इस प्रकार निर्मित किया गया कि सामान्यत: यह संघीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है।"

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग-XVIII में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली एवं संविधान की सुरक्षा करना है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है–

1. राष्ट्रीय आपातकाल
2. राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन
3. वित्तीय आपातकाल

संविधान में आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है–

- **अनुच्छेद 352** के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा (संपूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में शामिल किया जाए) इस आशय की घोषणा कर सकेगा।
- **अनुच्छेद 353** के अनुसार, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार किसी राज्य को इस संबंध में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किस रीति से करे।
- **अनुच्छेद 354** के अनुसार, अनुच्छेद 354 आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण के प्रावधानों से संबंधित है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि- अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 के सभी या कोई प्रावधान ऐसी किसी अवधि के लिए जो आदेश में शामिल किए जाएँ और जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऐसी घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।
- **अनुच्छेद 355** के अनुसार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे तथा प्रत्येक राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।
- **अनुच्छेद 356** के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 357** के अनुसार, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी।
- **अनुच्छेद 358** के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 के प्रावधान निलंबित हो जाएंगे।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 21

पंचायती राज, नगरपालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ
(Panchayati Raj, Municipalities and Co-operative Societies)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'पंचायती राज, नगरपालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अवधारणा
- स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य
- स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास में संबंध
- स्थानीय स्वशासन का विकास
- स्वातंत्र्योत्तर काल
- स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- पंचायती राज से संबंधित समस्याएँ
- पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव
- पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियाँ
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006
- शहरी स्थानीय निकाय की अवधारणा
- नगरपालिकाओं का विकास
- शहरी निकायों का महत्त्व
- 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- शहरी शासन के प्रकार
- स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद्
- शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित समस्याएँ
- शहरी निकायों के क्षमता निर्माण से संबंधित उपाय
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय समस्याएँ
- वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव
- म्युनिसिपल बॉण्ड
- सहकारी समितियाँ
- सहकारी समितियों का निगमन
- बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
- बोर्ड का विघटन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन
- सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण
- विवरणियाँ
- अपराध और दंड

अवधारणा (Concept)

- स्थानीय स्वशासन का सामान्य अर्थ होता है, लोगों की स्वयं की शासन-व्यवस्था। अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए निर्मित ऐसी व्यवस्था जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। अन्य शब्दों में, 'स्वशासन' स्थानीय स्तर पर समुचित प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी है।
- भारत में स्थानीय शासन का अस्तित्व एक व्यवस्था के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। इसके रूप भिन्न-भिन्न हो सकते है किंतु इसकी भावना हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार में हमेशा से रही है।
- सर्वप्रथम कुटुम्ब से कुनबे बने फिर कुनबे से समूह, इस समूह को कालांतर में ग्राम के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इन समूहों की व्यवस्था प्रबंधन के लिए लोगों ने कुछ विधियाँ एवं नियम बनाए, इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था।
- ग्राम स्तर या समूहों से संबंधित नियम गाँव में शांति बनाए रखने, सहभागिता से कार्य करने व स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने तथा सामाजिक न्याय दिलाने में भूमिका निभाते थे। गाँव का संपूर्ण प्रबंधन व व्यवस्था इन्हीं नियमों के अनुसार संचालित होती थी, ऐसे नियमों को लोग स्वयं बनाते थे और क्रियान्वयन भी वही लोग करते थे।
- उक्त बातों से तात्पर्य है कि स्थानीय स्वशासन में वे सारे अधिकार हों जिससे वे विकास की प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर मनोनुकूल दिशा दे सकें। वे खुद ही अपनी प्राथमिकता के आधार पर योजना निर्मित करें एवं खुद ही उसका क्रियान्वयन भी करें।
- स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने के पीछे सदैव यही धारणा रही है कि हमारे गाँव, जो सदियों से अपना शासन स्वयं चलाते रहे हैं, जिनकी अपनी न्याय-व्यवस्था रही है, वे स्वयं ही अपने विकास की दिशा निर्धारित करें।

स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य (Meaning of Local Self-Government)

- स्थानीय स्वशासन, शासन की वह व्यवस्था है जिसमे निचले स्तर पर शासन में भागीदारी सुनिश्चित कर उसकी समस्या को समझने एवं उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अतः स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था एक ओर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है तो दूसरी ओर आम जनता को स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 22 संवैधानिक एवं संविधानेत्तर संस्थाएँ
(Constitutional and Extra-Constitutional Institutions)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संवैधानिक एवं संविधानेत्तर संस्थाओं और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- केंद्रीय सतर्कता आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग
- राज्य लोक सेवा आयोग
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राज्य मानवाधिकार आयोग
- केंद्रीय सूचना आयोग
- राज्य सूचना आयोग
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- विधि आयोग
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- लोकपाल एवं लोकायुक्त
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)

परिचय (Introduction)

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है, जिसे 'कैग' (CAG) के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान और संसद के तहत वित्तीय प्रशासन को कायम रखें।
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा था- "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और इस रूप में उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना भारत या किसी राज्य की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च न किया जा सके।"
- ध्यातव्य है कि संसदीय शासन प्रणाली का आधार कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है और कार्यपालिका पर विधायिका के इस नियंत्रण का प्रमुख आधार यह है कि विधायिका वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करती है। अत: अपने उत्तरदायित्व के उचित निर्वहन के लिए विधायिका को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए सरकार के वित्तीय व्यवहारों के गुण-दोष निरूपण करके उसके परिणामों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करे। इस प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

- यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दें तो यह पूर्णत: स्पष्ट है कि भारत में मौजूद सार्वजनिक लेखा और अंकेक्षण की व्यवस्था एवं भारत का लेखा तथा अंकेक्षण विभाग हमें औपनिवेशिक शासन से विरासत में प्राप्त हुए हैं।
- सर्वप्रथम वर्ष 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 'लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग' (Audit and Accounting Department) की स्थापना की गई। इसका कार्य व्यापारिक आय-व्यय का परीक्षण तथा नियंत्रण करना था। इसने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के तीन प्रेसीडेंसी के खाते तैयार करने के लिए अलग-अलग संस्थाओं का इस्तेमाल किया।
- वर्ष 1857 में सभी खातों के लिए ज़िम्मेदार एक अलग सामान्य खाता विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 1858 में (जिस वर्ष ब्रिटिशर्स/ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था।) महालेखाकार का कार्यालय (Office of the Accountant General) स्थापित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक (Auditor General) के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा महालेखा परीक्षक पद को वैधानिक समर्थन देकर उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि की गई।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा संघीय ढाँचे में प्रांतीय महालेखा परीक्षकों का प्रावधान करके महालेखा परीक्षक की स्थिति को और मज़बूत कर दिया गया।
- अधिनियम में भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, सेवा प्रक्रियाओं और कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया। वर्ष 1936 में एक आदेश पारित करके महालेखा परीक्षक के लेखांकन और लेखा परीक्षा कार्यों को विस्तार प्रदान किया गया।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 23

राजभाषा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतीक (Official Language, Administration in the Scheduled & Tribal Areas, National Symbol)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'राजभाषा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और राष्ट्रीय प्रतीक तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- राजभाषा
  - मुंशी आयगंर सूत्र
  - संघ की भाषा
  - न्यायपालिका की भाषा
  - राजभाषा आयोग
  - संसदीय राजभाषा समिति, 1957
  - राष्ट्रपति का आदेश, 1960
  - राजभाषा अधिनियम, 1963
  - संसदीय राजभाषा समिति का गठन
  - प्रादेशिक भाषाएँ
  - विशेष निदेश
  - संविधान की आठवीं अनुसूची
  - शास्त्रीय भाषा
  - त्रि-भाषा सूत्र
- अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
  - संवैधानिक प्रावधान
  - अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन
  - जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन
- राष्ट्रीय प्रतीक
  - राष्ट्रीय ध्वज
  - राजकीय चिह्न
  - राष्ट्रगान
  - राष्ट्रीय गीत
  - राष्ट्रीय पंचांग

राजभाषा (Official Language)

संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

मुंशी आयगंर सूत्र (Munshi Ayyangar Formula)

- संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति में 16 सदस्य थे। राजभाषा का प्रारूप तैयार करने में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गोपालस्वामी आयंगर द्वारा विशेष भूमिका निभाने के कारण राजभाषा संबंधी भाग को मुंशी आयंगर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- 14 सितंबर को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।

संघ की भाषा (Language of the Union)

- अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही होगा।
- संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।
- संविधान के प्रारंभ होने के पंद्रह वर्ष के पश्चात् भी संसद विधि द्वारा, किसी विशेष प्रयोजन के लिए अंग्रेज़ी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकेगी।

न्यायपालिका की भाषा (Language of Judiciary)

अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, जब तक संसद विधि बनाकर इस संदर्भ में कोई अन्य प्रावधान न करे तब तक निम्नलिखित कार्य अंग्रेज़ी में किए जाएंगे–

- उच्चतम न्यायालय एवं प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।
- संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश।
- संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि या किसी विधि के अधीन बनाए गए, नियम, विनियम एवं उपविधि।
- किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमती से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए हिंदी या उस राज्य के शासकीय कार्यों में प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा को उस उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेज़ी में ही होंगे।
- राज्य विधानमंडल किसी विधेयक, विधि के अधीन निर्मित, आदेश, नियम, या उपविधि के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को विहित कर सकती है, परंतु अंग्रेज़ी भाषा में भी उसका अनुवाद प्रकाशित करना होगा।

राजभाषा आयोग (Official Language Commission)

- अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति के लिए उपबंध किया गया है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने के पाँच वर्ष के बाद तथा पुनः दस वर्ष

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 24 विश्व के प्रमुख देशों के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय (Constitutions of Major Countries of World & Important Judgments of Supreme Court)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'विश्व के प्रमुख देशों के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अमेरिका का संविधान
- ब्रिटेन का संविधान
- फ्रांस का संविधान
- जापान का संविधान
- सोवियत संविधान
- रूस का संविधान
- चीन का संविधान
- स्विट्ज़रलैंड का संविधान

सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय

- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
- शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
- बेरुबारी यूनियन केस
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ
- शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ
- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
- अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ

अमेरिका का संविधान

अमेरिकी संविधान का निर्माण वर्ष 1787 में अमेरिकी क्रांति (1775-1783) के बाद हुआ। इस संविधान को वर्ष 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अपनाया गया और इसे वर्ष 1789 में लागू किया गया था। अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताएँ-

1. **लिखित संविधान :** अमेरिकी संविधान को आमतौर पर लिखित संविधान के पारंपरिक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, यह दुनिया के मौजूदा लिखित संविधान में सबसे पुराना संविधान है। इसमें 7 अनुच्छेद और 27 संशोधन हैं।
2. **कठोर संविधान :** अमेरिकी संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। यह ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला संविधान नहीं है। इसमें सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह संविधान द्वारा उस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संवैधानिक कानून और एक साधारण कानून के बीच अंतर होता है। अमेरिकी संविधान संशोधन के लिए निम्नलिखित दो तरीके हैं-
   - कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई मतों से संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। सात साल के अंतराल में राज्यों के तीन-चौथाई (50 में से 38) विधायकों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
   - वैकल्पिक रूप से, राज्य विधान सभाओं के दो-तिहाई (50 में से 34) की याचिका पर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा किसी संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। राज्य विधान सभाओं के तीन-चौथाई (50 में से 38) में सम्मेलन द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

   इसलिए, अमेरिकी संविधान द्वारा इसके संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया बहुत कठिन, जटिल और धीमी है। इसकी कठोरता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि वर्ष 1789 में इसके प्रभाव में आने के बाद से इसे केवल 27 बार ही संशोधित किया गया है।
3. **संघीय संविधान :** संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय राज्य है। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक दुनिया में पहला और सबसे पुराना संघीय राज्य है। यह एक संघीय गणराज्य है जिसमें 50 राज्य (मूल रूप से 13 राज्य) और कोलंबिया ज़िला शामिल हैं।

   अमेरिकी संविधान संघीय (केंद्रीय) सरकार और राज्य सरकारों के

Copyright @ Sanskriti IAS

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

प्रत्येक माह नया बैच आरंभ

हाइब्रिड कोर्स
ऑफलाइन + ऑनलाइन

SPECIAL OFFER
9555 124 124

दिल्ली एवं प्रयागराज

वैकल्पिक विषय

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

कार्यक्रम विशेषताएँ

- इतिहास और भूगोल में मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

GS EXTENSIVE COURSE Prelims + Mains
- लगभग 650 कक्षाओं का एक्स्टेंसिव स्टडी प्रोग्राम
- AI द्वारा समर्थित अध्यापन प्रविधि का प्रयोग
- प्रत्येक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज

INDIVIDUAL MENTORING
- शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने का प्रशिक्षण
- उत्तर लेखन में सुधार के लिए पर्सनल गाइडेंस
- स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए वन-टू-वन सेशन

PGP — PRELIMS GUIDANCE Programme
- प्रत्येक टॉपिक के लिए महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सिनॉप्सिस
- विगत 13 वर्षों के PYQs में पैटर्न के अनुरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीज़न

PCS COURSES
- UPPCS फाउंडेशन कोर्स
- BPSC फाउंडेशन कोर्स
- MPPCS फाउंडेशन कोर्स
- RAS फाउंडेशन कोर्स
- UP-RO/ARO

MMP — MAINS MENTORSHIP Programme
- संस्कृति IAS की कोर फैकल्टी द्वारा Daily पर्सनल मेंटरिंग की सुविधा
- चारों प्रश्नपत्रों पर आधारित 70 टेस्ट का Intensive Test Programme

IGP — INTERVIEW GUIDANCE Programme
- एक्सपर्ट के साथ वन-टू-वन सेशन
- DAF एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ सीधा संवाद
- इंटरव्यू पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू सेशन्स

CSAT COURSE
- गणित और रीज़निंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक Step-by-Step अध्यापन
- कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सटीक और त्वरित ढंग से हल करने के लिए डायनमिक मेथडलॉजी

NCERT COURSE
- प्रत्येक विषय की कक्षा 6 से 12 तक की NCERT पर कक्षानुसार लैक्चर
- NCERT पर आधारित प्रिलिम्स और मेन्स के प्रश्नों पर चर्चा

QAD PROGRAMME
- GS के सभी टॉपिक्स के विगत वर्षों के PYQs पर विस्तृत प्रश्नोत्तर चर्चा
- प्रिलिम्स परीक्षा में जटिल प्रश्नों को सुगमता से हल करने में सक्षम बनाना

CURRENT AFFAIRS Programme
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रमों का विस्तृत कवरेज
- फैकल्टी द्वारा समसामयिक घटनाक्रमों का विषयवार डिस्कशन

Mode of Courses

- Hybrid Course — Offline Classroom & Online Live Stream
- Offline Classroom
- Online Live Stream — 3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

sanskritiias.com
Follows us: YouTube